भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3219
दिनांक 13 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत योजना

3219. श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर में 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है;
(ख) क्या उक्त सभी लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किए गए हैं और यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का विचार लाभार्थियों की आयु सीमा 70 से घटाकर 60 वर्ष करने का है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): दिनांक 29.10.2024 को, भारत सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना, प्रति परिवार के आधार पर प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का निःशुल्क उपचार लाभ प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) का विस्तार किया। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थी परिवारों की अनुमानित संख्या 4.5 करोड़ है, जो आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत 6 करोड़ व्यक्तियों के तदनुरुप है। इन पात्र लाभार्थियों (70 वर्ष और उससे अधिक) की अनुमानित संख्या और उक्त योजना के तहत बनाए गए आयुष्मान वय वंदना कार्डों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण क्रमशः **अनुलग्नक-I** और **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(ग) और (घ): उक्त योजना का कार्य दायरा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अनुलग्नक-I

<u>योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों (70 वर्ष और उससे अधिक) की अनुमानित संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण</u>

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों की अनुमानित संख्या**	
	परिवार	**व्यक्ति**
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	9,984	13,329
आंध्र प्रदेश	19,43,486	25,94,554
अरुणाचल प्रदेश	26,281	35,085
असम	9,04,507	12,07,517
बिहार	29,53,168	39,42,479
चंडीगढ़	28,790	38,434
छत्तीसगढ	8,22,062	10,97,453
दादरा और नागर हवेली	9,784	13,062
गोवा	69,458	92,727
गुजरात	21,37,596	28,53,690
हरियाणा	9,56,300	12,76,661
हिमाचल प्रदेश	3,54,275	4,72,957
जम्मू और कश्मीर	4,37,276	5,83,763
झारखंड	8,64,437	11,54,024
कर्नाटक	25,02,165	33,40,390
केरल	20,10,672	26,84,247
लद्दाख	10,861	14,500
लक्षद्वीप	2,063	2,754
मध्य प्रदेश	260,1,742	34,73,325
महाराष्ट्र	49,64,017	66,26,963
मणिपुर	92,210	1,23,101
मेघालय	59,327	79,201
मिजोरम	31,664	42,272
नगालैंड	47,493	63,403
पुद्दुचेरी	55,032	73,468
पंजाब	13,01,116	17,36,990
राजस्थान	23,55,898	31,45,124
सिक्किम	18,922	25,261
तमिलनाडु	32,35,454	43,19,331
तेलंगाना	13,50,558	18,02,995
त्रिपुरा	1,38,001	1,84,232
उत्तर प्रदेश	66,71,437	89,06,369
उत्तराखंड	3,99,505	5,33,339

अनुलग्नक-II

एबी-पीएमजेएवाई के तहत बनाए गए आयुष्मान वय वंदना कार्डों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**बनाए गए आयुष्मान वय वंदना कार्डों की संख्या**
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	222
आंध्र प्रदेश	10,244
अरुणाचल प्रदेश	14
असम	5,514
बिहार	66,712
चंडीगढ़	5,387
छत्तीसगढ	26,142
दादरा और नागर हवेली	1,537
गोवा	2,19,865
गुजरात	63,297
हरियाणा	12,762
हिमाचल प्रदेश	562
जम्मू और कश्मीर	4,856
झारखंड	68,638
कर्नाटक	3,97,320
केरल	5
लद्दाख	28
लक्षद्वीप	8,17,175
मध्य प्रदेश	21,279
महाराष्ट्र	3,013
मणिपुर	47
मेघालय	38
मिजोरम	106
नगालैंड	3,186
पुदुचेरी	38,988
पंजाब	20,451
राजस्थान	575
सिक्किम	63,233
तमिलनाडु	9,864
तेलंगाना	731
त्रिपुरा	472
उत्तर प्रदेश	3,14,330
उत्तराखंड	3,414

नोट: 04.12.2024 की स्थिति के अनुसार

*****